

# Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER

Number of Case .....

Year .....

Versus .....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of the
3/6/24	<p>पत्रावली पेश हुई ।                      पत्नी/प्रतिवादी अशिक्षित/अनुसूचित ।                      पत्रावली में आज कोई प्रतिलिपि कार्यवाही नहीं होने का कसूर                      इलाका होकर पत्रावली पूर्व आदेशिका अनुसार कि-१६/६/२५                      को पेश हो।</p>	
18/06/24	<p>पत्रावली पेश/ अर्चि. प्रार्थी उप.। अर्थाधीन                      की ओर से लंबे समय से जवाब पेश नहीं।                      प्रार्थी पत्रावली/ प्रा. पत्र विगत 12 माह से                      लंबित है, जो न्यायसंगत नहीं है। अतः                      अर्थाधीन के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही                      की जाती है। एकपक्षीय बहस सुनी गई।                      मुताबिक बहस अर्चि. प्रार्थी- " ग्राम डांगिया-                      वास, ख. सं. 156। (36 बीघा 05 बिस्वा), ख. सं.                      239 (15 बीघा 05 बिस्वा), ख. सं. 342 (05 बीघा                      18 बिस्वा), भूमि प्रार्थी, अर्थाधीन सं. 01 ता 03                      की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी की                      बहन एवं माता की रजामंदी से प्रार्थी,                      अर्थाधीन सं. 01 विवादित भूमि के 1/2-1/2                      हि. पर काबिज हैं। अर्थाधीन सं. 01 खाना                      बंदवारा भूमि का बेचान करना चाहता है।                      अर्थाधीन सं. 01, अर्थाधीन सं. 02 व 03 का हि.                      भी बेचान करना चाहता है। अतः अर्थाधीन सं.                      01 ता 03 को पाबंद किया जावे कि वे                      प्रार्थी के कब्जा-कारत में दरबल ना                      करें तथा मौका एवं record की                      प्रथास्थिति बनाए रखें।"                      उपरोक्त बहस, दस्तावेजों, तथ्यों                      के आचार पर प्रा. पत्र का निस्तारण</p>	

# Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER .....

Number of Case ..... Year .....

Versus .....

e	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	<p>निम्नानुसार किया जाता है- "यदि बिना विधिक विभाजन विवादित भूमि के विशेष भू-भाग का बेचान किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की प्रबल संभावना है। प्रथम-दृष्ट्या मामला एवं सुविधा-का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित होते हैं क्योंकि प्रार्थी recorded खातेदार हैं अतः प्रा-पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए ताफेंसला मूलवाद अप्रार्थी सं. 01 ता 03 को पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम डंगियावास ख. सं. 150/1, 239, 349 के बिना विधिक विभाजन हुए विशेष भू-भाग दशति हुए बेचान ना करें।" आदेश पढ़कर सुनाया गया। पत्रावली फेंसल शुमार हांकर दारिखत- दफतर ही</p>	<p><i>Prinjal</i> सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर</p>

